फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री कैलाश | **विपक्षी : श्री पोखर**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 133/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 13.08.2022	

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। मूल वाद आज दिनांक को राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जा चुका हैं। अतः मूल वाद में बंटवाडा होकर अन्तिम डिक्री जारी होने तक उभय पक्ष को मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा तुलसीदास जी की सराय पटवार हल्का गुडली की आराजी न. 457 किता 1 रकबा 0.0809 हेक्टेयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखा जाकर सुनाया गया।

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.18 16:28:42 IST
Reason: SelfAttested